	वास्ते बहस [illegible] गया वास्ते बहस अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 24-4-26 को पेश हो।
24-4-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. वास्ते बहस प्रा० पत्र समय उभयपक्ष चाहा गया वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 8-5-26 को पेश हो।
8-5-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता मय प्रार्थी मुवक्किल पेश हुई। अप्रार्थी अधिवक्ता उप. वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 15-5-26 को पेश हो।
15-5-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता को बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA सुनी गई बहस समाअत पत्रावली को ग्राकर विस्तृत निर्णय पृथक से आदेशिका पर लिखा जा रहा है जो संक्षेप में निम्न प्रकार है।

निर्णय — दि. 15-5-26

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. में प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 20/374 रकबा 2.14 हैक्टर वाके ग्राम कौलायपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है जिसपर प्रार्थी पिछले 35 वर्षों से काबिज काश्त

उपखण्ड अधि[illegible]
लाखेरी (बूंदी)

तारीख हुक्म	अमृतलाल बनाम कुन्दनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र. स. 47/22	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा मिलकर कर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को अपने नाम आवन्टन करा लिया गया प्रार्थी आज भी कब्जा शुदा है अप्रार्थी क्रम 1 का उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा प्रार्थी विवादित आराजी ख.न 20/374 रकबा 2.14 हैक्टर पर अप्रार्थी क्रम 1 के आवंटन होने से पूर्व से कब्जा काश्त होने से मुखालफाना से खातेदार कृषक हो चुका है अप्रार्थी क्रम 1 के हक अधिकार समाप्त हो चुके है अप्रार्थी क्रम 1 ने दिनांक 15-6-22 को विवादित आराजी पर कब्जा करने व जमीन को खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी। और निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी क्रम 1 विवादित आराजी को खुर्द बुर्द कर देगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी ख.न 20/374 रकबा 2.14 हैक्टेयर कृषि भूमि लगभग 29 वर्ष पूर्व अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित हुई थी अप्रार्थी क्रम 1 तभी से कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है। अप्रार्थी क्रम 1 एम्बुलेंस ड्राईवर होने के कारण अधिकांश समय ड्यूटी पर रहता है जिसका फायदा उठाकर प्रार्थी ने माह दिसम्बर 2020 में जबरन अतिक्रमण कर लिया प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 का सगाभाई है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जबरन अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद न्यायालय दायर किया हुआ है जिससे बचने के लिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 विरुद्ध यह दीवानी का झूठा वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन करने पर अप्रार्थी क्रम 1 राजस्व रिकार्ड में खातेदार कृषक दर्ज रिकार्ड होना पाया जाता है तथा कब्जा काश्त के आधार पर बैंक से K.C.C. लोन लेना रिकार्ड में दर्ज होना	उपखण्ड अधिकारी [illegible] (हुन्दी)

मुकदमा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र.सं. 47/22 अमृतलाल बनाम कुँअरनाथ पाया जाता है प्रार्थी द्वारा वर्ष 2020 में जबरन कब्जा किया है जो एक अतिक्रमी की हैसियत रखता है खातेदार कृषक के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा। जारी किया जाना कानून सम्मत नहीं है प्रार्थी के पक्ष में कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मुकदमा प्रमाणित नहीं है. अतः अप्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार कृषक है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल मुख्य होकर सलग्न मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 15.5.26 को लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया. उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बूंदी)	